पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-26

मंगलवार, दिनांक-21 अप्रील, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 13 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) तारांकित प्रश्न सं०-1737 पर सरकार के उत्तर से माननीय सदस्यों के असंतुष्ट होने पर आसन द्वारा इसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को इस निदेश के साथ जाँच हेतु सुपूर्द किया गया कि समिति दो महीने के भीतर प्रतिवेदन सुपूर्द करेगी ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपुष्ट ।

(v) 40 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्यस्थगन :-

कार्यस्थगन की सूचना अंतर्गत माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार द्वारा दिए गए कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किए जाने की घोषणा आसन से की गयी ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना अन्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री ललन राम
(ii) श्री प्रदीप कुमार
(iii) श्री अरुण शंकर प्रसाद
(iv) श्रीमती पूनम देवी यादव
(v) श्री चन्द्रशेखर
(vi) श्री मंजीत कुमार सिंह
(vii) श्री दिनेश कुमार सिंह
(viii) डा० दाउद अली
(ix) श्री राजेश्वर राज
(x) श्री विजय कुमार सिन्हा

(xi) डा० इजहार अहमद (xii) श्री प्रेम कुमार

(xiii) श्री संजय सिंह (टाइगर) (xiv) श्रीमती भागीरथी देवी

''इस दौरान माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा भोजपुर जिला में हुई हत्या के दोषियों पर स्पीडी ट्रायल की मांग की गयी जिस पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार की ओर से संज्ञान लिया गया ।

माननीय नेता, विरोधी दल श्री नन्दकिशोर यादव द्वारा बच्चे के अपहरण एवं उसकी हत्या का मामला उठाया गया जिस पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार की ओर से संज्ञान लिया गया ।''

''शून्यकाल की सूचना अंतर्गत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा की सूचना पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा संज्ञान लिया गया ।

शून्यकाल की सूचना अंतर्गत माननीय सदस्य श्री संजय सिंह (टाइगर) की सूचना पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री पी०के० शाही द्वारा सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गयी ।''

[4] <u>अन्य चर्चाएँ</u> :-

नेता, विरोधी दल श्री नन्दकिशोर यादव द्वारा किसानों से जुड़ी अनेक समस्याओं का मुद्दा उठाया गया जिस पर माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गयी ।

[5] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तथा दिनांक-20, 27 मार्च एवं 16 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री गिरिधारी यादव एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित तथा दिनांक-23, 27, 31 मार्च एवं 09 तथा 15 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य श्री सोनेलाल हेम्ब्रम एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक-22.04.2015 के लिए स्थगित हुआ ।

(iv) मा० सदस्या श्रीमती गुलजार देवी का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया जो दिनांक-24, 27 मार्च एवं 16 अप्रील, 2015 से स्थगित था ।

(v) माननीय सदस्य श्री जनक सिंह एवं अन्य सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-24, 27 मार्च एवं 16 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(vi) माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा एवं अन्य सभासदों का योजना एवं विकास विभाग से संबंधित तथा दिनांक-26, 27 मार्च एवं 16 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(vii) मा० सदस्या श्रीमती रेणु कुमारी एवं अन्य सभासदों का परिवहन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-26, 27 मार्च एवं 16 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना सदन में ही नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित किया गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(viii) माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी एवं अन्य सभासदों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित तथा दिनांक-27 मार्च एवं 16 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(ix) माननीय सदस्य श्री कृष्णनन्दन यादव एवं अन्य सभासदों का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित तथा दिनांक-27, 31 मार्च तथा 09 एवं 15 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

''सदन की भावना को देखते हुए आसन द्वारा सरकार को निदेश दिया गया कि तत्काल दोषी पदाधिकारी को स्थानान्तरित किया जाय ।''

(x) माननीय सदस्य श्री दिनेश कुमार सिंह का लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना जो दिनांक-30 मार्च तथा 07 एवं 17 अप्रील, 2015 से स्थगित था का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(xi) माननीय सदस्य श्री रामदेव महतो एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना जो दिनांक-01, 07 एवं 17 अप्रील, 2015 से स्थगित था अपृष्ट हुआ ।

(xii) माननीय सदस्य डा० फैयाज अहमद एवं श्री भाई वीरेन्द्र का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित तथा दिनांक-01, 07 एवं 17 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य डा० फैयाज अहमद द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(xiii) माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-07 एवं 17 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना अपुष्ट हुआ ।

(xiv) माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एवं दिनांक-07 एवं 17 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(xv) माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित तथा दिनांक-09 एवं 17 अप्रील, 2015 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक-22.04.2015 के लिए स्थगित हुआ ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

समय 2.00 बजे अप० से 3.27 बजे अप० तक ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :-

(i) **''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2015'':-**

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य डा० अच्युतानंद एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य डा० अच्युतानंद, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री विनोद नारायण झा द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक के विचार के प्रस्ताव में स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा का विधेयक के खंड-4 एवं 6 तथा डा० अच्युतानन्द का विधेयक के खंड-4 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) **''बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक 2015'' :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) **''बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2015'':-**

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य डा० अच्युतानंद द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल श्री नन्द किशोर यादव द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) **"श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्युट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक 2015":-**

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री विनोद नारायण झा द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु परिचारित हो का अलग-अलग प्रस्ताव रखा गया एवं अपना-अपना पक्ष रखा गया । दोनों प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी इसपर पक्ष रखा गया ।

विधेयक सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-15 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदोपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक- 22 अप्रील, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-21 अप्रील, 2015

हरेराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।